कार्यालय कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी (स्थानीय निर्वाचन)
जिला-सारंगढ़ बिलाईगढ़ (छ.ग.)

//आदेश//

क्रमांक/ 72 /स्था.नि./संपत्ति.विरू./2025 सारंगढ़-बिलाईगढ़, दिनांक 20/01//2025

छ0ग0 राज्य निर्वाचन आयोग, नवा रायपुर, अटल नगर द्वारा दिनांक 20/01/2025 को नगरपालिका/त्रिस्तरीय पंचायत आम निर्वाचन 2024-25 के लिए कार्यक्रम जारी किये जाने के साथ ही आदर्श आचरण संहिता प्रभावशील हो चुकी है। नगरपालिका/त्रिस्तरीय पंचायत आम निर्वाचन के दौरान, राजनैतिक दलों एवं उनके अभ्यर्थियों द्वारा चुनाव प्रचार-प्रसार करने के लिए शासकीय/अशासकीय भवनों पर नारे लिखे जाते हैं, तथा विद्युत एवं टेलीफोन के खम्भों पर चुनाव प्रचार से संबंधित झंडिया लगाई जाती है, जिसके फलस्वरूप शासकीय/अशासकीय संपत्ति का स्वरूप विकृत हो जाता है।

छत्तीसगढ़ संपत्ति विरूपण निवारण अधिनियम 1994 की धारा 03 में निहित प्रावधानानुसार कोई भी व्यक्ति, जो संपत्ति के स्वामी की लिखित अनुज्ञा के बिना सार्वजनिक दृश्टि में आने वाली किसी संपत्ति को स्याही, झंडिया, रंग या किसी अन्य पदार्थ से लिख कर या चिन्हित कर के उसे विरूपित करेगा, वह जुर्माने से, जो एक हजार रूपया तक का हो सकेगा, दण्डनीय होगा। इस अधिनियम के अधीन दण्डनीय कोई भी अपराध संज्ञेय होगा।

छ0ग0 राज्य निर्वाचन आयोग, नवा रायपुर, अटल नगर के निर्देशानुसार संपत्ति विरूपण के संदर्भ में, राज्य में प्रचलित विधि के प्रावधानों के अनुसार कठोर कार्यवाही किया जाना है। अतः एतद् द्वारा निर्देर्शित किया जाता है कि, निर्वाचन प्रक्रिया के दौरान, जिले में छत्तीसगढ़ संपत्ति विरूपण निवारण अधिनियम 1994 के प्रावधानों का कठोरता पूर्वक अनुपालन सुनिश्चित करते हुए प्रभावी कार्यवाही की जाये। संपूर्ण निर्वाचन प्रक्रिया के दौरान, यदि विभिन्न राजनैतिक दलों अथवा निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थियों द्वारा, शासकीय/अशासकीय भवनों की दीवारों पर किसी भी प्रकार के नारे लिख कर विकृत किया जाता है, तो ऐसे कृत्यों के निवारण के लिए एक टीम तत्काल प्रभाव से गठित की जाये। इस टीम में संबंधित नगरीय निकाय (यथा ,नगर पालिका,नगर पंचायत), लोक निर्माण विभाग तथा राजस्व विभाग एवं पुलिस विभाग के अधिकारी/कर्मचारियों को सम्मिलित किया जाये। आवश्यकतानुसार पर्याप्त संख्या में टीम गठित कर, प्रभावी कार्यवाही की जाये तथा की गई कार्यवाही से जिला निर्वाचन कार्यालय सारंगढ़-बिलाईगढ़ को अवगत कराया जायें। टीम गठित करने का कार्य संबंधित अनुविभागीय अधिकारी राजस्व द्वारा किया जाये। गठित टीम द्वारा संबंधित क्षेत्रों में सघन भ्रमण कर विरूपित संपत्ति को, संपत्ति विरूपण करने वाले के व्यय पर पूर्ण स्वरूप में लाएगी तथा टीम द्वारा संपत्ति विरूपण करने वाले तत्वों के विरूद्ध अधिनियम के प्रावधानों के अंतर्गत एफ. आई.आर. दर्ज कराई जावेगी।

यदि किसी राजनैतिक दल या चुनाव लड़ने वाले अभ्यर्थी द्वारा किसी निजी संपत्ति को बिना उसके स्वामी की लिखित सहमति के विरूपित किया जाता है, तो निजि संपत्ति के स्वामी द्वारा संबंधित थाने में सूचना दर्ज कराने के बाद, गठित टीम निजी संपत्ति को विरूपित होने से बचाने की कार्यवाही करेगी एवं संबंधित थाना प्रभारी द्वारा प्रदत्त सूचना रिपोर्ट पर विधिवत जांच कर सक्षम न्यायालय में आरोप पत्र प्रस्तुत किया जायेगा। इसी प्रकार किसी धार्मिक स्थल का उपयोग चुनाव प्रचार-प्रसार के लिए नहीं किया जायेगा।

संबंधित थाना प्रभारी द्वारा संपत्ति विरूपण से संबंधित प्राप्त शिकायतों पर तत्काल एफआईआर दर्ज कर विवेचना प्रारंभ की जायेगी। संबंधित टीम शिकायत या उन्हें प्राप्त संपत्ति विरूपण के प्रकरणों को पृथक पंजी में दर्ज करेगी एवं विरूपित संपत्ति की फोटोग्राफी/ विडियोग्राफी करायेगी।

Scanned with OKEN Scanner

संबंधित अनुविभागीय दण्डाधिकारी, उपरोक्त संबंध में की गई कार्यवाही से संबंधित प्रतिवेदन प्रतिदिन संध्या 4:30 बजे तक अनिवार्यतः जिला निर्वाचन कार्यालय को भेजेंगे।

कलेक्टर
एवं जिला निर्वाचन अधिकारी,
सारंगढ़-बिलाईगढ़ (छ.ग.)

पृ.क्रमांक/ 721/वि.स.नि./संपत्ति.विरू./2025 सारंगढ़-बिलाईगढ़, दिनांक 20/01/2025

प्रतिलिपि :-

1. सचिव छ0ग0 राज्य निर्वाचन आयोग, नवा रायपुर अटल नगर, को सादर सूचनार्थ सम्प्रेषित।
2. प्रेक्षक, छ0ग0 राज्य निर्वाचन आयोग, नगरपालिका/त्रिस्तरीय पंचायत आम निर्वाचन 2024-25 को सादर सूचनार्थ संप्रेषित।
3. सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, गृह विभाग, मंत्रालय रायपुर को सादर सूचनार्थ सम्प्रेषित।
4. आयुक्त, बिलासपुर संभाग, बिलासपुर को सादर सूचनार्थ सम्प्रेषित।
5. पुलिस अधीक्षक, जिला - सारंगढ़-बिलाईगढ़ को सूचनार्थ अग्रेषित।
6. मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत जिला सारंगढ़-बिलाईगढ़ को सूचनार्थ अग्रेषित।
7. सर्व अनुविभागीय दण्डाधिकारी(रा.) जिला सारंगढ़-बिलाईगढ़ को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित।
8. सर्व तहसीलदार जिला - सारंगढ़-बिलाईगढ़,को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित। आदेश का प्रसारण मुनादी कराकर किया जावे तथा उसकी प्रति नोटिस बोर्ड पर चस्पा की जाये।
9. नायब तहसीलदार उप तहसील कोसीर को उपरोक्तानुसार कार्यवाही संपादित करने हेतु अग्रेषित।
10. सर्व मुख्य कार्यपालन अधिकारी, ज0पं0 जिला सारंगढ़-बिलाईगढ़ का सूचनार्थ अग्रेषित।
11. मुख्य नगर पालिका अधिकारी,नगर पालिका परिषद्- सारंगढ़, नगर पंचायत सरिया, बरमकेला, बिलाईगढ़, भटगांव, पवनी, सरसीवां को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित।
12. सहायक संचालक, जनसंपर्क सारंगढ़-बिलाईगढ़ को सूचनार्थ एवं समाचार पत्रों में प्रकशन हेतु अग्रेषित।

कलेक्टर
एवं जिला निर्वाचन अधिकारी,
सारंगढ़-बिलाईगढ़ (छ.ग.)

Scanned with OKEN Scanner